



// विज्ञप्ति //

कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2020/10519/भोपाल दिनांक 13/08/2020 एवं कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश पत्र क्र. 1493/पीजी/4/संचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21/09/2020 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के संदर्भ में निम्न पदों पर 01 अक्टूबर 2020 से 03 माह की अवधि के लिये निश्चित मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति हेतु दिनांक 06/10/2020 को वाक् इन इंटरव्यू आयोजित किये जायेंगे।

| क्र. | पदनाम  | योग्यता   | मासिक मानदेय प्रतिमाह                              | कुल पद |
|------|--|---|--|--------|
| 1    | स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ | एम.डी. मेडिसिन/एम.डी. एनेस्थेसिया/एम.डी. रेस्पिरेटरी मेडिसिन (टी.बी. एड. चैस्ट)/डिप्लोमा रेस्पिरेटरी मेडिसिन (डी. टी.सी.डी.)/डिप्लोमा एनेस्थेसिया।<br>ICU/ICCU में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है। | 1,25,000/-<br>(डिग्री)<br>1,10,000/-<br>(डिप्लोमा) | 28     |
| 2    | चिकित्सा अधिकारी   | एम.बी.बी.एस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन।  | 60,000/-   | 41     |

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन के साथ समस्त मूल दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति (एक सेट) संलग्न करे एवं अपने मूल दस्तावेजों के साथ अधिष्ठाता कार्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में बॉक इन इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि 06/10/2020 को उपस्थित होंगे।


आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र.1439/पीजी/4/संचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21/09/2020 अनुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थेसिया एवं पाल्मोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सेवाओं को कोविड-19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओं की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।

कोविड-19 महामारी में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता की कमी को देखते हुये नियुक्ति अस्थायी 01 अक्टूबर 2020 से आगामी 03 माह के लिये है, एवं शासन के निर्देशानुसार आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। अतः आयु और वर्ग के मान को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के उम्मीदवार निर्धारित योग्यता अनुरूप पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित आवेदक तीन माह पश्चात राविदा या नियमित नौकरी के लिये पात्र नहीं माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीकरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता हेतु अकसूची, जाति प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि की मूलप्रति के साथ बॉक-इन-इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा, किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

इस कार्यालय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति में आशिक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार विदिशा रहेगा।

वाक् इन इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थी की सूची चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। चयनित आवेदकों को सूची प्रकाशन के दो दिन के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिष्ठाता कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
अ.वि.वा.शास.चिकित्सा महाविद्यालय,  
विदिशा

कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु पदों पर भर्ती हेतु आवेदन का प्रारूप  
अ.बि.वा.शास.चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)  
पीजीएमओ एवं एमओ हेतु अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन-प्रपत्र

दिनांक.....

विज्ञापन क्रमांक .....

आवेदक पद का नाम.....

1. अभ्यर्थी का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्म तिथि : .....
4. योग्यता : .....

फोटो

| क्र. | परीक्षा का नाम                 | विद्यालय/<br>महाविद्यालय | बोर्ड/<br>विश्वविद्यालय | उत्तीर्ण<br>वर्ष | प्राप्तांक | प्रतिशत | रिमांक |
|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| 1    | हाईस्कूल                       |                          |                         |                  |            |         |        |
| 2    | हायर सेकेण्डरी<br>(10+2)       |                          |                         |                  |            |         |        |
| 3    | डिप्लोमा                       |                          |                         |                  |            |         |        |
| 4    | डिग्री                         |                          |                         |                  |            |         |        |
| 5    | स्नातकोत्तर<br>डिग्री/डिप्लोमा |                          |                         |                  |            |         |        |

5. एम.सी.आई. रजिस्ट्रेशन/मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र .....

6. अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र एवं वेतन प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है)

| क्र | संस्था का नाम | पद का नाम | अविधि कब से कब तक |
|-----|---------------|-----------|-------------------|
| 1   |               |           |                   |
| 2   |               |           |                   |

7. वर्ग (सामान्य, अनु० जाति, अनु० जन जाति० अ०पि०वर्ग).....

8. सम्पर्क के लिये पता : .....

9. मोबाईल नंबर : ..... ई-मेल : .....

10. आधार कार्ड : .....

11. कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही/गंभीर अपराध प्रकरण/दंड तो उसकी जानकारी .....

12. वचन/कथन :-

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। मुझे यह ज्ञात है कि जानकारी असत्य पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा अस्थायी नियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह की नियमित या संविदा नौकरी की मांग नहीं करूँगा या करूँगी।

हस्ताक्षर

## // अनुबन्ध-पत्र //

मैंने ..... अपना आवेदन दिनांक ..... के द्वारा .....  
..... की सेवा हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी  
वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।  
मैं स्वेच्छा से ..... मानदेय पर दिनांक ..... से 01 अक्टूबर  
2020 से आगामी 03 माह तक कोविड महामारी नियंत्रण ऑपरेशन के लिये कार्य करने हेतु सहमत  
हूँ। मुझे दिया जाने वाला मासिक मानदेय ..... स्वीकार है एवं दी गई समस्त सेवा  
सर्वे मान्य हैं एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबंध में माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का  
दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करेगा।  
सेवा शर्तें :-

1. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 1 अक्टूबर 2020 से आगामी 03 माह के लिये की जा रही है। जिसे आवश्यकता होने पर शासन के आदेशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
3. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा होंगे।
4. अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
5. अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।